

**मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण**

12 प्रीतम रोड, डालनवाला, देहरादून-248001

फोन:- 0135-2673149, 0135-2678325 फैक्स:-0135-2672506

**मैनुअल - 6****लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण**

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, का विवरण प्रवर्गों के अनुसार निम्न प्रकार है:-

1	2	3	4	5	6
क्र०सं०	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	गोपनीय/जनता द्वारा जाँच के लिए उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/ नियंत्रणाधीन
1	नियोजन	देहरादून महायोजना 1985-2001 देहरादून क्षेत्र के अर्न्तगत विकास की दृष्टि से (वर्तमान में लागू)	जनता हेतु उपलब्ध	रूपये 170/- प्राधिकरण कोष में जमा करके प्राप्त की जा सकती है।	कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 12 प्रीतम रोड देहरादून।
2	नियोजन	देहरादून महायोजना प्रारूप 2005-2025	जनता हेतु उपलब्ध	महायोजना प्रारूप पुस्तिका रूपये 500/- प्राधिकरण कोष में जमा करके प्राप्त की जा सकती है।	कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 12 प्रीतम रोड देहरादून।
3	नियोजन	देहरादून विकास प्राधिकरण भवन उपविधि 2001 यथा संशोधन 2003	जनता हेतु उपलब्ध	रूपये 150/- प्राधिकरण कोष में जमा करके प्राप्त की जा सकती है।	कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 12 प्रीतम रोड देहरादून।
4	नियोजन	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 1985 (मसूरी विकास क्षेत्र हेतु)	जनता हेतु उपलब्ध	रूपये 160/- प्राधिकरण कोष में जमा करके प्राप्त की जा सकती है।	कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 12 प्रीतम रोड देहरादून।
5	सम्पत्ति	समय समय पर विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु सम्पत्ति पंजीकरण एवं आवंटन नियमावली सहित विवरण पुस्तिका	जनता हेतु उपलब्ध	रूपये 100/- से 200/- तक समय-समय पर प्रस्तुत आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं का पंजीकरण खोला जाता है तथा नियत अवधि हेतु विज्ञप्ति के माध्यम से पंजीकरण पुस्तिका का मूल्य	कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 12 प्रीतम रोड देहरादून एवं निर्धारित बैंकों में।



## मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

12 प्रीतम रोड, डालनवाला, देहरादून-248001

फोन:- 0135-2673149, 0135-2678325 फैक्स:-0135-2672506

				एवं सूचना प्रकाशित की जाती है।	
<u>6</u>	सम्पत्ति	नई योजनायें जैसे ट्रान्सपोर्टनगर, सहस्त्रधारा आवासीय योजनाओं में आवंटियों द्वारा जमा धनराशि का विवरण कम्प्यूटर पर उपलब्ध है।	जनता हेतु उपलब्ध	सम्पत्ति अधिकारी की लिखित अनुमति के उपरान्त कम्प्यूटर कक्ष से आवंटी द्वारा जमा धनराशि का मिलान कराते हुए प्रिन्ट आउट प्राप्त किया जा सकता है।	कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 12 प्रीतम रोड देहरादून।
<u>7</u>	अभियंत्रण	टेकेदार की पंजीकरण पुस्तिका	जनता हेतु उपलब्ध	रूपये 125/- प्राधिकरण कोष में जमा करके प्राप्त की जा सकती है।	कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 12 प्रीतम रोड देहरादून।
<u>8</u>	मानचित्र	स्वीकृत मानचित्र की प्रमाणित प्रति	जनता हेतु उपलब्ध	रूपये 100/- प्राधिकरण कोष में जमा करके प्राप्त की जा सकती है।	कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 12 प्रीतम रोड देहरादून।
<u>9</u>	नजूल	नई नजूल नीति शासनादेश दिनांक 4.8.2005 उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी की गयी है।	उक्त शासनादेश के अनुसार फ्रीहोल्ड की कार्यवाही की जानी है। नजूल नीति (जिसमें पुरानी नजूल नीति का भी समावेश है) मुद्रण की प्रक्रिया में है जो मुद्रण उपरान्त जनता हेतु उपलब्ध होगी .	रूपये 100/- प्राधिकरण कोष में जमा करके प्राप्त की जा सकती है।	कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 12 प्रीतम रोड देहरादून।
<u>10</u>	अभिलेख	किसी भी अभिलेख की प्रमाणित प्रति	जनता हेतु उपलब्ध	रूपये 50/- प्राधिकरण कोष में जमा करके प्राप्त की जा सकती है।	कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 12 प्रीतम रोड देहरादून।